जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक–जविप्रा/अ.आ/एल.पी.सी./बैठक/2021/डी–654 दिनांक:– 29-07-2021

कार्यवाही विवरण

प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की **161वीं बैठक दिनांक 22.07.2021** को **10.00** बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में **"मंथन सभा कक्ष"** में आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित अधिकारीगण का विवरण परिशिष्ठ 'अ' पर संलग्न है। बैठक में विचार विमर्श पश्चात् निम्नांकित निर्णय लिये गये :–

क्र.सं	जोन	प्रस्ताव संख्या	विषय	निर्णय
1	–	161:1	प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 160वीं बैठक दिनांक 17.06.2021 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि एवं लम्बित अनुपालना रिपोर्ट की समीक्षा बाबत।	भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 160वीं बैठक दिनांक 17.06.2021 कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई एवं लम्बित अनुपालना की समीक्षा की गई। आयुक्त महोदय द्वारा लंबित अनुपालना रिपोर्ट पर लंबित प्रकरणों में अतिशीघ्र पालना करने के निर्देश दिए गए।
2	5	161:2	श्याम नगर में स्थित सामुदायिक केन्द्र पर सामुदायिक इन्डोर स्पोर्टस के निर्माण हेतु।	उपायुक्त जोन द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर समिति द्वारा विचार विमर्श किया गया। श्याम नगर में स्थित जविप्रा स्वामित्व के सामुदायिक केन्द्र के ग्राउण्ड फ्लोर, प्रथम फ्लोर, द्वितीय फ्लोर तथा भवन की कुल ऊचाई 12.50 मीटर के भवन मानचित्र जविप्रा की भूमि एवं सम्पत्ति समिति के अनुमोदन की प्रत्याशा में सैद्धान्तिक रूप से दिनांक 07.07.2020 को अनुमोदित किये जा चुके है। सामुदायिक भवन पर विकास समिति द्वारा अपने वित्तीय संसाधनों से निर्माण कार्य करवाया जायेगा, जविप्रा द्वारा कोई व्यय नही किया जायेगा । इस संबंध में विचार–विमर्श कर सामुदायिक केन्द्रों एवं पार्कों के रखरखाव एवं विकास करने बाबत एक सामान्य नीति बनाने हेतु अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन) जविप्रा की अध्यक्षता में एक समिति के गठन का निर्णय लिया गया, तब तक प्रकरण को लम्बित रखा जावें।
3	7	161:3	सेंट थॉमस ओर्थोडोक्स सिरियन चर्च सोसायटी को विद्यालय भवन निर्माण हेतु जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित भूमि एवं मुख्य रोड के मध्य स्थित अतिरिक्त भूमि 1258.88 व.मी. का तृतीय आवंटन किये जाने के क्रम में।	प्रस्तुत प्रस्ताव पर समिति द्वारा विचार विमर्श किया गया। प्रकरण में सेंट थॉमस ओर्थोडोक्स सिरियन चर्च सोसायटी द्वारा विद्यालय भवन निर्माण हेतु जविप्रा द्वारा आवंटित भूमि एवं मुख्य रास्ते के मध्य स्थित भूमि 1258.88 व.मी का आवंटन किये जाने का निवेदन किया है। ग्राम गिरधारीपुरा के ख.नं. 57 में प्लाट–1 में स्थित है। संस्था को पूर्व में दो बार भूमि का आवंटन किया जा चुका है जिस पर वर्तमान में स्कूल संचालित है। ग्राम गिरधारीपुरा के ख.नं. 57 रकबा 5 बीघा 10 बिस्वा में से दिनांक 11.03.08 को 4002.55 वर्गगज भूमि आवासीय आरक्षित दर की 50प्रतिशत दर पर एवं दिनांक 25.06.10 को 998.66 वर्गगज भूमि आवासीय आरक्षित दर की 50प्रतिशत दर पर आवंटित की गयी थी। इस प्रकार संस्था को कुल 5001.21 वर्गगज (4181.62 वर्गमीटर) भूमि आवंटित की हुई है।

अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

				प्रस्तुत प्रकरण के अवलोकन से जाहिर होता है कि पूर्व में भूमि आवंटन के समय जेडीए द्वारा भूमि से लगती हुई सड़क दर्शायी गयी है, परन्तु जेडीए द्वारा रिप्लानिंग करने के कारण सड़क स्कूल की भूमि से दूर हो गयी तथा वर्तमान में स्कूल में आने जाने का अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है तथा स्कूल भवन के लिए आवंटित भूमि के तीन तरफ खातेदार की भूमि है। मौके पर मौजूद अतिरिक्त भूमि के उपयोग किये बिना स्कूल भवन में प्रवेश करना संभव नहीं है। अतः निर्णय लिया गया है कि सड़क एवं स्कूल के मध्य स्थित भूमि जिसका कुल क्षेत्रफल 1258.88 व.मी. है, की प्लानिंग इस तरह से की जावे की स्कूल में आवागमन हेतु 18 मीटर का रास्ता उपलब्ध हो सके तथा शेष भूमि दो भूखण्डों के रूप में जविप्रा को उपलब्ध हो सकें। स्कूल के आवागमन हेतु उपलब्ध कराये गये रास्ते/सड़क पर जेडीए का पूर्ण स्वामित्व रहेगा तथा रिप्लानिंग से उपलब्ध दो भूखण्डों को खुली नीलामी द्वारा विक्रय किये जाने का निर्णय लिया गया।
4	8	161:4	जविप्रा की आवासीय योजना शिव एनक्लेव में लॉटरी द्वारा आवंटित आवासीय भूखण्ड संख्या एल/90 (कार्नर) क्षेत्रफल 50.00 वर्गमीटर का अनुमोदित मानचित्र अनुसार क्षेत्रफल 50.00 वर्गमीटर के स्थान पर 72.85 वर्गमीटर होने से बढे हुए क्षेत्रफल 22.85 वर्गमीटर को आवंटन करने बाबत्।	उपायुक्त जोन द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर समिति द्वारा विचार विमर्श कर बढा हुआ क्षेत्रफल आरक्षित दर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया। जविप्रा योजनाओं में कार्नर भूखण्डों को भविष्य में आवंटन, भूमि के बदले भूमि अथवा मुआवजे में नहीं दिया जा कर केवल नीलामी द्वारा ही निस्तारित किये जाने बाबत् नीतिगत निर्णय लिया गया। इस बाबत् सचिव, जविप्रा के हस्ताक्षर से परिपत्र जारी किया जावें।
5	8	161:5	जविप्रा की आवासीय योजना शिव एनक्लेव में लॉटरी द्वारा आवंटित आवासीय भूखण्ड संख्या ई–50 (कार्नर) क्षेत्रफल 40.50 वर्गमीटर के स्थान पर मौके पर 57.69 व.मी. होने से बढे हुए क्षेत्रफल 17.19 वर्गमीटर को आवंटन करने बाबत्।	उपायुक्त जोन द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर समिति द्वारा विचार विमर्श कर बढा हुआ क्षेत्रफल आरक्षित दर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
6	8	161:6	जविप्रा की आवासीय योजना शिव एनक्लेव में लॉटरी द्वारा आवंटित आवासीय भूखण्ड संख्या 4 क्षेत्रफल 162 वर्गमीटर	उपायुक्त जोन द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर समिति द्वारा विचार विमर्श कर बढा हुआ क्षेत्रफल आरक्षित दर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया।

अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

			का अनुमोदित मानचित्र अनुसार क्षेत्रफल 162 वर्गमीटर के स्थान पर 214.55 वर्गमीटर होने से बढे हुए क्षेत्रफल 52.55 वर्गमीटर को आवंटन करने बाबत्।	
7	8	161: 7	जविप्रा की आवासीय योजना शिव एनक्लेव के आवंटित भूखण्ड संख्या 6 क्षेत्रफल 162 वर्गमीटर के स्थान पर इसी योजना में समान क्षेत्रफल 162 व.मी. का भूखण्ड समान सडक पर निरस्त भूखण्डों में से भूखण्ड संख्या 20 क्षेत्रफल 162व.मी. एवं भूखण्ड संख्या 104 क्षेत्रफल 162व.मी. में से किसी एक भूखण्ड का आवंटन करने बाबत्।	उपायुक्त जोन द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर समिति द्वारा विचार विमर्श कर उपलब्ध निरस्त भूखण्डों में से एक भूखण्ड लॉटरी के माध्यम से विनिमय में आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
8	8	161:8	जविप्रा की आवासीय योजना शिव एनक्लेव में लॉटरी द्वारा आवंटित आवासीय भूखण्ड एल/24 (कार्नर) क्षेत्रफल 50.00 व.मी. का अनुमोदित मानचित्र अनुसार क्षेत्रफल 50.00 व.मी. के स्थान पर 71.20 व.मी. होने से बढे हुए क्षेत्रफल 21.20 व.मी. को आवंटन करने बाबत्।	उपायुक्त जोन द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर समिति द्वारा विचार विमर्श कर बढा हुआ क्षेत्रफल आरक्षित दर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
9	8	161:9	जविप्रा की आवासीय योजना शिव एनक्लेव में लॉटरी द्वारा आवंटित आवासीय भूखण्ड एल/69 (कार्नर) क्षेत्रफल 50.00 व.मी. का अनुमोदित मानचित्र अनुसार क्षेत्रफल 50.00 व.मी. के स्थान पर 71.20 व.मी. होने से बढे हुए क्षेत्रफल 21.20 व.मी. को	उपायुक्त जोन द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर समिति द्वारा विचार विमर्श कर बढा हुआ क्षेत्रफल आरक्षित दर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया।

अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

			आवंटन करने बाबत्।	
10	8	161:10	फोरचून फाउन्डेशन अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री अनुराग जैन को प्राधिकरण की योजना वेस्ट वे हाईट्स में 13 एकड (52609 व.मी.) भूमि मेडिकल यूनिवर्सिटी एवं हॉस्पिटल उपयोग हेतु आवंटन बाबत।	प्रस्तुत प्रकरण में समिति द्वारा विचार विमर्श किया गया। प्रकरण में फोरचून फाउन्डेशन अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री अनुराग जैन पुत्र श्री अजीत कुमार जैन, निवासी 302, विनायक कॉम्पलेक्स, न्यू फतेहपुरा, उदयपुर द्वारा जेडीए की आवासीय योजना वेस्ट वे हाईट्स में 13 एकड़ (52609 वर्ग मीटर) भूमि का आवंटन मेडिकल यूनिवर्सिटी एवं हॉस्पिटल की स्थापना हेतु चाहा गया है। आवेदक ने आवासीय योजना वेस्ट वे हार्ईट्स में 13 एकड़ (52609 व.मी.) भूमि आवंटन हेतु आवेदन किया है व DPR प्रस्तुत की है। उक्त 52609 व.मी. भूमि की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है:– 1. भूखण्ड संख्या एफ–2 क्षेत्रफल 22412.68 व.मी. सुविधा क्षेत्र में आवंटन हेतु उपलब्ध है। 2. भूखण्ड संख्या एफ–3 क्षेत्रफल 15008.62व.मी. में से 4508.62 व.मी. भूमि आवंटन हेतु उपलब्ध है। 3. भूखण्ड संख्या एफ–3 क्षेत्रफल 15008.62 व.मी. में से 10500 व.मी. भूमि PHED को आवंटन करने का निर्णय लिया गया है। आवंटन पत्र जारी किया जा चुका है, परन्तु लीजडीड जारी नहीं की गई है। मौके पर PHED द्वारा चारदिवारी बनाकर कब्जा प्राप्त किया जा चुका है। 4. ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड संख्या जी–19 क्षेत्रफल 11451.31 व.मी. योजना की मूल प्लानिंग के अनुसार ग्रुप हाउसिंग प्रयोजनार्थ नियोजित है। आवेदक द्वारा कुल वांछित क्षेत्रफल में इस भूखण्ड को भी शामिल किया गया है। 5. सेटर कॉमर्शियल भूखण्ड संख्या सी–40 से सी–49 (कुल 10 भूखण्ड) उक्त 10 भूखण्ड क्षेत्रफल 450 व.मी. प्रत्येक (कार्नर भूखण्ड संख्या सी–40 व सी–49 कार्नर होने के कारण मौके अनुसार क्षेत्रफल बदल सकता है) में से उपलब्ध रिकार्ड अनुसार 3 भूखण्ड संख्या सी–42, सी–43 एवं सी–48 पूर्व में आवंटित है जिनमें भूखण्ड संख्या सी–42 एवं सी– 48 की लीजडीड जारी की जा चुकी है। यदि आवेदित भूमि में स्थित ग्रुप हाउसिंग एवं कर्मिशियल भूखण्डों के आवंटन का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है तो उक्त भूखण्डों के निकटतम समान प्रकृति के भूखण्डों की नीलामी दर के आधार पर वर्तमान बाजार दर पर ही आवंटन किया जाना उचित होगा। जेडीए में आवेदन पत्र मय शुल्क रू. 5000/– प्राप्त होने पर दिनांक 23.02.21 को सार्वजनिक आपत्ति हेतु नियमानुसार बेबसाईट पर अपलोड किया गया। इस संबंध में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। प्रकरण में चिकित्सा विभाग से रिपोर्ट ली गई जिस पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग द्वारा अपने पत्र कमांक–प. 25 (1) चिस्वा. /2/2021 दिनांक 01.07.2021 द्वारा अनापत्ति (NOC) जारी की गई।

अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

वेस्ट वे हाईटस योजना की आवासीय आरक्षित दर 22000/–प्रति व.मी. निर्धारित है। भूखण्ड 48 मीटर की सडक पर कार्नर होने से आवासीय आरक्षित दर की 115 प्रतिशत 25300/–प्रति व.मी. होती है। अस्पताल को संस्थानिक श्रेणी में माने जाने से आरक्षित दर 125 प्रतिशत 31625/–प्रति व.मी. होती है।

जयपुर विकास प्राधिकरण की आवासीय योजना वेस्ट वे हाईट्स योजना के सुविधा क्षेत्र के भूखण्ड संख्या एफ–2 क्षेत्रफल 22412.68 वर्गमीटर एवं भूखण्ड संख्या एफ–3 क्षेत्रफल 15008.62 व.मी. भूमि जिसमे से 10500.00 वर्गमीटर भूमि का आवंटन पीएचईडी को किया जाकर शेष 4508.62 वर्गमीटर रहती है। इस प्रकार दोनो भूखण्डों की भूमि कुल क्षैत्रफल 26921.30 व.मी. भूमि उपलब्ध है। आवंटन हेतु आवेदित भूमि के एक खातेदार डॉ0 प्रभा ठाकुर द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में दायर एस.बी. सिविल रिट पिटीशन नम्बर 9693/2014 पर माननीय न्यायालय का स्थनग आदेश है। पिटिशनर श्रीमती प्रभा ठाकुर ने कार्यालय में लिखित सहमति प्रस्तुत की है कि यदि उनका आवासीय भूखण्ड उनकी भूमि में ही आवंटित किया जावे तो वे अपना वाद विड्रा कर लेगी। इस पर प्रार्थीया को उनकी ही भूमि में आवासीय भूखण्ड संख्या जी–10 क्षेत्रफल 6499.63 व.मी. एवं व्यावासयिक भूखण्ड संख्या–सी–6, सी–7 एवं सी–8 क्षेत्रफल प्रत्येक 450.00 व.मी. एवं व्यावसायिक भूखण्ड संख्या एस/सी/17 क्षेत्रफल 150.00 व.मी., डी/सी/160, डी/सी/204, डी/सी/236 क्षेत्रफल प्रत्येक 30.00 व.मी. को जरिये लॉटरी आवंटित कर सशर्त आवंटन पत्र कमांक डी–908 दिनांक 15.06.2021 जारी किया जा चुका है। उनकी मांग है कि लॉटरी में आवंटित 30 व.मी. के आवंटित 03 व्यावसायिक भूखण्डों को निरस्त कर एवं प्रार्थिया को देय शेष 5.19 व.मी. व्यावसायिक क्षेत्रफल को सम्मिलित करते हुये कुल क्षेत्रफल 95.19 व.मी. के स्थान पर 150 व.मी. का एक व्यावसायिक भूखण्ड आवंटित किया जावें। प्रार्थीया द्वारा देय व्यावसायिक क्षेत्रफल 95.19 व.मी. के स्थान पर 54.81 व.मी. अधिक व्यावसायिक क्षेत्रफल की मांग की जा रही है जो की नियमानुसार दिया जाना सम्भव नहीं है। इसी कारण से अभी तक उन्होनें माननीय न्यायालय से केस को विड्रो नही किया गया है। (भूखण्डों में से सी–43 से सी–48 पर पटेल नगर गृ0नि0स0स0 द्वारा माननीय न्यायालय में दायर एस0बी0सिविल रिट पिटिशन नम्बर 2905/2015 के स्थगन आदेश से प्रभावित है।)

चूंकि यह प्रकरण आवंटन नीति 2015 के बिन्दू संख्या–3.1 के तहत प्रिमीयर संस्था की श्रेणी में आता है, ऐसे प्रकरणों में आवंटन नीति के बिन्दू संख्या–3.2 के तहत भूमि का आकार, DPR व विनिवेश के आधार पर राज्य सरकार के स्तर पर गठित स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा समीक्षा उपरान्त भूमि के आवंटन, भूमि की मात्रा, दरों एवं शर्तो की बारे में माननीय मंत्रीमण्डल द्वारा निर्णय लिया जाना है।

अतः प्रकरण उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं पत्रावली सहित आवंटन नीति–2015 के बिन्दु संख्या–3.1 के तहत अग्रिम कार्यवाही हेतु राज्य सरकार को प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया।

अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर

11	9	161:11	श्री ग्यारसी लाल पुत्र श्री चन्दा को जविप्रा की आवासीय योजना सैन्ट्रल स्पाईन एफ ब्लाक के भूखण्ड संख्या एफ–76 क्षेत्रफल 152 व.मी. के बढे हुए क्षेत्रफल 41.50 व.मी. कुल क्षेत्रफल 193.50 व.मी. के आवंटन बाबत।	उपायुक्त जोन द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर समिति द्वारा विचार विमर्श कर स्ट्रीप ऑफ लैण्ड क्षेत्रफल 41.50 व.मी. का योजना की आरक्षित दर की दुगुनी दर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
12	9	161:12	श्री मिठी लाल मीणा पु. श्री कालूराम मीणा भूखण्ड संख्या– 9/AI/ 123 क्षेत्रफल 1250 वर्गमीटर रिंग रोड के बदले में भू.सं. 9/AI/181 क्षेत्रफल 1250 वर्गमीटर का आवंटन बाबत्।	समिति द्वारा विचार विमर्श कर उपायुक्त जोन को निर्देशित किया गया कि समतुल्यता एवं सममूल्यता को ध्यान में रखते हुए प्रकरण की विस्तृत जांच के पश्चात् प्रकरण को आगामी बैठक में प्रस्तुत करें।
13	11	161:13	जविप्रा की आवासीय योजना ए.पी.जे. अब्दुल कलाम नगर में लॉटरी द्वारा आवंटित आवासीय भूखण्ड संख्या ई–63–सी क्षेत्रफल 45 वर्ग मीटर का अनुमोदित मानचित्र अनुसार क्षेत्रफल 45 वर्गमीटर के स्थान पर 55.5 व.मी. होने से बढे हुए क्षेत्रफल 10.5 व.मी. को आवंटन करने बाबत्	उपायुक्त जोन द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर समिति द्वारा विचार विमर्श कर बढा हुआ क्षेत्रफल आरक्षित दर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
14	11	161:14	जविप्रा की आवासीय योजना ए.पी.जे. अब्दुल कलाम नगर में लॉटरी द्वारा आवंटित आवासीय भूखण्ड संख्या ई–55 सी क्षेत्रफल 45 वर्गमीटर का अनुमोदित मानचित्र अनुसार क्षेत्रफल 45 वर्गमीटर के स्थान पर 66.66 व.मी. होने से बढे हुए क्षेत्रफल 21.66	उपायुक्त जोन द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर समिति द्वारा विचार विमर्श कर बढा हुआ क्षेत्रफल आरक्षित दर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया।

अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

			व.मी. को आवंटन करने बाबत्	
15	11	161:15	जविप्रा की आवासीय योजना ए.पी.जे. अब्दुल कलाम नगर में लॉटरी द्वारा आवंटित आवासीय भूखण्ड संख्या ई–1–सी क्षेत्रफल 45 वर्गमीटर का अनुमोदित मानचित्र अनुसार क्षेत्रफल 45 वर्गमीटर के स्थान पर 69.25 व.मी. होने से बढे हुए क्षेत्रफल 24.25 व. मी. को आवंटन करने बाबत्	उपायुक्त जोन द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर समिति द्वारा विचार विमर्श कर बढा हुआ क्षेत्रफल आरक्षित दर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
16	11	161:16	जविप्रा की आवासीय योजना ए.पी.जे. अब्दुल कलाम नगर में लॉटरी द्वारा आवंटित आवासीय भू.संख्या ई–34–सी क्षेत्रफल 45 वर्गमीटर का अनुमोदित मानचित्र अनुसार क्षेत्रफल 45 वर्गमीटर के स्थान पर 60.5 व.मी. होने से बढे हुए क्षेत्रफल 15.50 व.मी. को आवंटन करने बाबत्	उपायुक्त जोन द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर समिति द्वारा विचार विमर्श कर बढा हुआ क्षेत्रफल आरक्षित दर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
17	11	161:17	जविप्रा की आवासीय योजना ए.पी.जे. अब्दुल कलाम नगर में लॉटरी द्वारा आवंटित आवासीय भूखण्ड संख्या ई–82 सी क्षेत्रफल 45 वर्गमीटर का अनुमोदित मानचित्र अनुसार क्षेत्रफल 45 वर्गमीटर के स्थान पर 60 व.मी. होने से बढे हुए क्षेत्रफल 15 व.मी. को आवंटन करने बाबत्	उपायुक्त जोन द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर समिति द्वारा विचार विमर्श कर बढा हुआ क्षेत्रफल आरक्षित दर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
18	12	161:18	उप तहसील बगरू तहसील सांगानेर को	उपायुक्त जोन द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर समिति द्वारा विचार विमर्श कर संस्था द्वारा ग्राम दहमीकलां तहसील सांगानेर के खसरा नंबर 330 रकबा 7.26 हेक्टेयर किस्म चारागाह में से 2.53 हेक्टेयर भूमि

अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

			कार्यालय भवन एवं आवास निर्माण हेतु भूमि आवंटन बाबत।	आवंटन हेतु निवेदन किया गया है। यहां यह उल्लेखनीय है कि नविवि के आदेश दिनांक 25.11.2016 में आवंटन नीति 2015 के तहत सरकारी कार्यालयों को 1000 व.मी. भूमि निःशुल्क भूमि दिये जाने का प्रावधान है। जिसके क्रम में संस्थानिक योजना के फैसिलिटी भूखण्ड क्षेत्रफल 35910.5 व.मी. में से 1000 व.मी. भूमि का आवंटन पत्र दिनांक 07.10.2020 को जारी किया जा चुका था जिसकी कार्योत्तर स्वीकृति दिनांक 12.10.2020 को आयोजित एलपीसी की बैठक में प्रदान की गई जिसके अनुसरण में उपायुक्त जोन द्वारा राज्य सरकार को दिनांक 05.11.2020 को स्वीकृति हेतु पत्र प्रेषित किया गया था। इसी बीच नगरीय विकास विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 05.07.2021 के अनुसार क्रम संख्या 10 में वर्णित अन्य तहसील/पंचायत समिति स्तरीय कार्यालय को 4000 व.मी तक निःशुल्क भूमि का आवंटन स्थानीय स्तर पर किए जाने की शक्तियां प्रत्यायोजित की गई है। जिसकी पालना में उप तहसील बगरू तहसील सांगानेर को कार्यालय भवन एवं आवास निर्माण हेतु संस्थानिक योजना के फैसिलिटी भूखण्ड क्षेत्रफल 35910.5 व.मी. में से 1000 व.मी. भूमि का निःशुल्क आवंटन का अनुमोदन किया गया ।
19	12	161:19	सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बगरू तहसील सांगानेर के भवन निर्माण हेतु भूमि आवंटन करने बाबत्।	उपायुक्त जोन द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर समिति द्वारा विचार विमर्श कर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बगरू तहसील सांगानेर के भवन निर्माण हेतु भूमि आवंटन के लिए एलपीसी की 156वीं बैठक दिनांक 08.12.2020 में निर्णय लिया गया था। ग्राम दहमीकलां तहसील सांगानेर में जविप्रा की सृजित संस्थानिक योजना में आरक्षित सुविधा क्षेत्र के भूखण्ड क्षेत्रफल 35910.50 व.मी में से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बगरू को 4000 व.मी. भूमि नविवि के आदेश दिनांक 25.11.16 के तहत निःशुल्क आवंटन करने की अभिशंषा सहित प्रकरण को राज्य सरकार के नविवि के आदेश क्रमांक–प.3 (55)नविवि/3/2002 पार्ट दिनांक 26.11.20 के अनुसरण में स्वीकृति के लिए प्रेषित करने का निर्णय लिया गया था जिसके क्रम में उपायुक्त द्वारा संयुक्त शासन सचिव–तृतीय, नविवि को पत्र क्रमांक डी–140 दिनांक 11.01.2021 को प्रेषित किया गया था। इसी बीच नगरीय विकास विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 05.07.2021 के अनुसार क्रम संख्या 05 में वर्णित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को 4000 व.मी तक निःशुल्क भूमि का आवंटन स्थानीय स्तर पर किए जाने की शक्तियां प्रत्यायोजित की गई है। जिसकी पालना में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बगरू तहसील सांगानेर के भवन निर्माण हेतु संस्थानिक योजना के फैसिलिटी भूखण्ड क्षेत्रफल 35910.5 व.मी. में से 4000 व.मी. भूमि का निःशुल्क आवंटन का अनुमोदन किया गया।
20	12	161:20	ग्राम ठिकरिया तहसील सांगानेर में स्थित निजी खातेदारी योजना वाटिका इन्फोटेक सिटी में आरक्षित फैसिलिटी	उपायुक्त जोन द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर समिति द्वारा विचार विमर्श कर ग्राम ठिकरिया तहसील सांगानेर में स्थित निजी खातेदारी योजना वाटिका इन्फोटेक सिटी में आरक्षित फैसिलिटी (डिस्पेनसरी) भूखण्ड संख्या एफ–94 क्षेत्रफल 2768 व.मी भूमि नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हेतु आवंटन के लिए एलपीसी की 156वीं बैठक दिनांक

अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

			(डिस्पेनसरी) भूखण्ड संख्या एफ–94 क्षेत्रफल 2768 व.मी भूमि नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को आवंटन बाबत।	08.12.2020 में निर्णय लिया गया था । ग्राम ठिकरिया तहसील सांगानेर में स्थित निजी खातेदारी योजना वाटिका इन्फोटेक सिटी में आरक्षित फैसिलिटी (डिस्पेनसरी) भूखण्ड संख्या एफ–94 क्षेत्रफल 2768 व.मी. भूमि नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हेतु नविवि के आदेश दिनांक 25.11.16 के तहत निःशुल्क आवंटन करने की अभिशंषा सहित प्रकरण को राज्य सरकार के नविवि के आदेश क्रमांक–प.3 (55)नविवि/3/2002 पार्ट दिनांक 26.11.20 के अनुसरण में स्वीकृति के लिए प्रेषित करने का निर्णय लिया गया था जिसके क्रम में उपायुक्त द्वारा संयुक्त शासन सचिव–तृतीय, नविवि को पत्र क्रमांक डी–139 दिनांक 11.01.2021 को प्रेषित किया गया था । इसी बीच नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 05.07.2021 के अनुसार क्रम संख्या 05 में वर्णित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को 4000 व.मी तक निःशुल्क भूमि का आवंटन स्थानीय स्तर पर किए जाने की शक्तियां प्रत्यायोजित की गई है। जिसकी पालना में नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हेतु निजी खातेदारी योजना वाटिका इन्फोटेक सिटी में आरक्षित फैसिलिटी (डिस्पेनसरी) भूखण्ड संख्या एफ–94 क्षेत्रफल 2768 व.मी भूमि का निःशुल्क आवंटन का अनुमोदन किया गया।
21	13	161:21	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र अचरोल को भवन निर्माण हेतु जविप्रा की अनुमोदित योजना साईन्स टेंक सिटी, अचरोल की सुविधा क्षेत्र भूखण्ड क्षेत्रफल 3400.32 व.मी आवंटन बाबत्।	उपायुक्त जोन द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर समिति द्वारा विचार विमर्श कर नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 05.07.2021 के अनुसार क्रम संख्या 05 में वर्णित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को 4000 व.मी तक निःशुल्क भूमि का आवंटन स्थानीय स्तर पर किए जाने की शक्तियां प्रत्यायोजित की गई है, जिसकी पालना में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र अचरोल को भवन निर्माण हेतु जविप्रा की अनुमोदित योजना साईन्स टेंक सिटी, अचरोल की सुविधा क्षेत्र भूखण्ड क्षेत्रफल 3400.32 व.मी निशुल्क आवंटन (एण्ड यूज निर्धारण करने की शर्त पर) करने का निर्णय लिया गया ।
22	13	161:22	श्री राज कुमार पु. भूराराम निवासी–122 "ख" भवानी नगर, मुरलीपुरा, जयपुर को जविप्रा की रमल्यावाला डेयरी विस्तार योजना के भू.संख्या–R–27 क्षेत्रफल 202.5 व.मी. के स्थान पर समान क्षेत्रफल का अन्य भूखण्ड आवंटन करने बाबत्।	उपायुक्त जोन द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर समिति द्वारा विचार विमर्श कर जविप्रा की रमल्यावाला डेयरी विस्तार योजना के भू. संख्या–R–27 क्षेत्रफल 202.5 व.मी. के स्थान पर समान क्षेत्रफल का सममूल्य/समतुल्य का अन्य भूखण्ड लॉटरी द्वारा आवंटन करने का निर्णय लिया गया।

अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

23	13	161:23	श्री श्याम बिहारी शर्मा पुत्र श्री कल्याण सहाय शर्मा निवासी– ग्राम अचरोल तहसील –आमेर, जिला– जयपुर को जविप्रा की अनुमोदित योजना साइन्स टेक सिटी के भू–खण्ड संख्या 364 क्षेत्रफल 135.00 व. मी. के स्थान पर समान क्षेत्रफल का अन्य भूखण्ड आवंटन करने बाबत।	समिति द्वारा विचार विमर्श कर उपायुक्त जोन को निर्देशित किया गया कि प्रकरण का विस्तृत परीक्षण के पश्चात् प्रकरण को आगामी बैठक में प्रस्तुत करें।
24	13	161:24	जविप्रा की आवासीय योजना राजभवन के भूखण्ड सं0 बी–98 क्षेत्रफल 180 व.मी. था जो कि मौके पर 144 व. मी. क्षेत्रफल बढ जाने के कारण आवंटित भूखण्ड संख्या बी–98 के स्थान पर समान क्षेत्रफल का अन्य रिक्त भूखण्ड आवंटन करने बाबत।	उपायुक्त जोन द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर समिति द्वारा विचार विमर्श कर जविप्रा की आवासीय योजना राजभवन के भूखण्ड सं0 बी–98 क्षेत्रफल 180 व.मी. के स्थान पर समान क्षेत्रफल का सममूल्य/समतुल्य अन्य रिक्त भूखण्ड लॉटरी द्वारा आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
25	14	161:25	जविप्रा की योजना हीरालाल शास्त्री नगर में लॉटरी दिनांक 25.09. 2020 द्वारा आवंटित कॉर्नर के ई.डब्ल्यू. एस/एल.आई.जी. के भूखण्ड संख्या–जी–75–ए का आवंटित क्षेत्रफल 45.00 व.मी. के स्थान पर मौके पर क्षेत्रफल 65.00 व.मी अर्थात् 20.00 व.मी. क्षेत्रफल अधिक उपलब्ध हो रहे क्षेत्रफल का आवंटन बाबत्।	उपायुक्त जोन द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर समिति द्वारा विचार विमर्श कर बढा हुआ क्षेत्रफल आरक्षित दर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
26	14	161:26	जविप्रा की योजना हीरालाल शास्त्री नगर में लॉटरी दिनांक 25.09.20	उपायुक्त जोन द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर समिति द्वारा विचार विमर्श कर बढा हुआ क्षेत्रफल आरक्षित दर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया।

अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

			द्वारा आवंटित कॉर्नर के ई.डब्ल्यू. एस/एल.आई. जी. के भूखण्ड संख्या–जी–170 का आवंटित क्षेत्रफल 45.00 व.मी. के स्थान पर मौके पर क्षेत्रफल 55.50 व. मी अर्थात् 10.50 व.मी. क्षेत्रफल अधिक उपलब्ध हो रहे क्षेत्रफल का आवंटन बाबत्।	

बैठक सधन्यवाद् समाप्त की गई।

(आनन्दी लाल वैष्णव)
सदस्य सचिव एवं
अतिरिक्त आयुक्त (एलपीसी)
जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ठ सहायक, नगरीय विकास एवं आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग मंत्री, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, जयपुर विकास आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
4. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
5. निदेशक (वित्त/अभियांत्रिकी–द्वितीय/नगर–आयोजना), जविप्रा, जयपुर।
6. अतिरिक्त आयुक्त (पूर्व/पश्चिम/एल.पी.सी./भूमि/प्रशासन), जविप्रा, जयपुर।
7. संयुक्त आयुक्त (संसाधन विकास एवं समन्वय), जविप्रा, जयपुर।
8. विशेषाधिकारी (आर. एण्ड एम.), जविप्रा, जयपुर।
9. अतिरिक्त निदेशक (राजस्व एवं सम्पति निस्तारण), जविप्रा, जयपुर।
10. उपायुक्त जोन–1 से 14, पृथ्वीराज नगर (उत्तर–प्रथम व द्वितीय) (दक्षिण–प्रथम व द्वितीय)
11. सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा को कार्यवाही विवरण स्केन कर जविप्रा वेबसाईट पर अपलोड करने के लिये।
12. जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर।
13. रक्षित पत्रावली।

(आनन्दी लाल वैष्णव)
सदस्य सचिव एवं
अतिरिक्त आयुक्त (एलपीसी)
जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

उपस्थिति पत्र

जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में आयोजित भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 161वीं बैठक दिनांक 22.07.2021 में उपस्थित रहे अधिकारियों की सूचीः—

क्र.सं.	नाम अधिकारी	पद	LPC में पद	हस्ताक्षर
1.	श्री गौरव गोयल	जयपुर विकास आयुक्त	अध्यक्ष	
2.	श्री हृदेश कुमार शर्मा	सचिव	सदस्य	
3.	श्री ओंकार मल राजोतिया	निदेशक (वित्त)	सदस्य	
4.	श्री अजय गर्ग	निदेशक (अभियांत्रिकी–II)	सदस्य	
5.	श्री आर.के. विजयवर्गीय	निदेशक (नगर आयोजना)	सदस्य	
6.	श्रीमती श्रुति भारद्वाज	अति॰ आयुक्त (भूमि)	सदस्य	
7.	श्री डॉ॰ गिरीश पाराशर	अति॰ आयुक्त (एलपीसी) एवं (पूर्व/पश्चिम)	सदस्य सचिव	
8.	श्री आनन्दी लाल वैष्णव	अति॰ आयुक्त (प्रशासन)	विशेष आमंत्रित	
9.	श्री देवेन्द्र अरोड़ा	अति॰ निदेशक (राजस्व) एवं विशेषाधिकारी (आरएण्डएम)	विशेष आमंत्रित	
10.	श्री नवल किशोर मीणा	जन सम्पर्क अधिकारी	विशेष आमंत्रित	
11	श्री नानू राम सैनी	उपायुक्त जोन–5	विशेष आमंत्रित	
12.	श्री अरूण कुमार शर्मा	उपायुक्त जोन–7	विशेष आमंत्रित	
13.	श्री नरेश सिंह तंवर	उपायुक्त जोन–8 एवं 11	विशेष आमंत्रित	
14.	श्री विजेन्द्र कुमार मीणा	उपायुक्त जोन–9	विशेष आमंत्रित	
15.	श्री प्रवीण कुमार अग्रवाल	उपायुक्त–12	विशेष आमंत्रित	
16.	श्री लोकेश कुमार गौतम	उपायुक्त जोन–13	विशेष आमंत्रित	
17	सुश्री निशा	उपायुक्त जोन–14	विशेष आमंत्रित	
18	[illegible]	STP(LP)		
19				
20				

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरु मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष-{+91-0141-2570122} : ईपीबीएक्स -91+0141-2569696 एक्सटेंशन: {7019}: फैक्स- +91-141-2574555

ई-मेल : { aclpc.jda@rajasthan.gove.in }